सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2012/225 दायर दिनांक 29.11.2012

वादी		प्रतिवादीगण
1 चुन्नीलाल पुत्र जंवाराराम फौत 1/1 कमल पत्नि स्व. चुन्नीलाल 1/2गलकूदेवी पुत्री स्व.चुन्नीलाल 1/3मोहनलाल पुत्र स्व.चुन्नीलाल 1/4सुखमादेवी पुत्री स्व.चुन्नीलाल 1/5धन्नाराम पुत्र स्व.चुन्नीलाल समस्त जाति खाती निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. छोटूराम पुत्र जंवाराराम 2. भागीरथ पुत्र जंवाराराम 3. सुन्दरदेवी पत्नि रामदयाल समस्त जाति खाती निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 4. बालूराम पुत्र हुक्माराम 5. मांगीलाल पुत्र हुक्माराम 6. गणपत पुत्र हुक्माराम समस्त जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 7. पीरूसिंह पुत्र तगतसिंह जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– **88, 53 188 R.T.Act.**

उपस्थित–

1. श्री हाकम अली खान, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अशोक कुमार भाकर अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं0 01ता,03।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 06.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वर्तमान खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर है, जो कि वर्ष 1979 के पहले प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त का रहा है।

प्रतिवादी संख्या 04 ता 06 ने अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त के उक्त खेत खसरा नम्बर . 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर में से पश्चिम की और की निम्न पडौस बीच की 34 बीघा भूमि के 1/2 भाग की हक खातेदारी वादी चुन्नीलाल को व 1/2 भाग की हक खातेदारी प्रतिवादी संख्या

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

01 ता 03 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाणनामा दिनाकं 24.07.1979 के विक्रय की इस 34 बीघा भूमि के पडौस बैचाण अनुसार निम्न है।

उत्तर में गुमानाराम जाट
पुर्व में विकेता बालूराम वगैराह
दक्षिण में मागूंसिंह छगनसिंह राजपूत
पश्चिम में पडत की भूमि

वर्तमान खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर में से 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 बालूराम, मांगीलाल गणपत के नाम से 20 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 04 पीरूसिंह के नाम से अंकित हैं।जबकि शेष 34 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व वादी के नाम से संयुक्त दर्ज है।इसकी जानकारी वादी को हाल ही में हल्का पटवारी से नकल खतौनी दिनाकं 27.09.2012 को लेने पर हुई है।नकल खतौनी दावा के साथ प्रस्तुत है।

उक्त खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर में से पश्चिम की 34 बीघा भूमि जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है मे से 1/2 भाग की (17 बीघा) भूमि वादी नें व 1/2 भाग की (17 बीघा) भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने कय की व काबिज हुए। जिसका स्पष्ट उल्लेख उक्त पंजिकृत बैचाणनामा दिनाकं 24.07.1979 में अंकित है।

वक्त बैचाण दिनाकं 24.07.1979 से उक्त खसरा की 34 बीघा भूमि में से 17 बीघा पर वादी 17 पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 शान्ति पुर्वक काबिज चले आ रहे है।मगर राजस्व रिकार्ड में इस खसरा की उक्त 34 बीघा भूमि वास्तविकता के विपरीत वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम संयुक्त अंकित रहने से वादी के जायज अधिकारो पर क्लाउड्स छा गये है।वादी इस खसरा की उक्त 34 बीघा भूमि के 1/2 भाग की 17 बीघा भूमि की खातेदारी अपने अकेले के नाम से व 17 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के नाम से घोषित करवाने का मुश्तहक है।अतः वादी को यह दावा बाबत घोषणा के करना लाजमी आया है।

उक्त खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर की 34 बीघा भूमि के 1/2 भाग की भूमि की खातेदारी वादी की व 1/2 भाग की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की कयसुदा कब्जा काश्त व खातेदारी की है, का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बीच आज तक विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के नही हुआ है।जिससे पक्षकारान के बीच सीमा सम्बधि विवाद रहने लगा है।अतः वादी को यह दावा बाबत बन्टवारा के करना लाजमी आया है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की जरिये पंजिकृत बैचाणनामा दिनाकं 24.07.1979 के क्रयसुंदा कब्जा काश्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वास्तविकता के मुताबिक दर्ज नही होने से अब प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के मन में लालच पैदा होने लगा है।वे लोगो को इस खसरा की उक्त 34 बीघा भूमि में अपना सम्भावित 3/4भाग बताते हुए हस्तान्तरण करने को आमादा है।प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई हक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की बैजा हरकत से वादी को अजहद नुक्शान होगा, जिसकी पुर्ति नगदी से नही हो सकेगी। कई प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी अतः वादी को यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2012/225
दायर दिनांक 29.11.2012, निर्णय दिनांक 06.06.2017
चुन्नीलाल बनाम छोटूराम वगैराह।

कि वाद के पद सं. 01 में वर्णित खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर की प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी में अकित 34 बीघा भूमि के 1/2 भाग की 17 बीघा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से व 1/2 भाग की 17 बीघा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के नाम से घोषित की जाकर तदनुसार रेकार्ड दुरूस्त किया जाकर खातेदारी अमल दरामद करवाई जावे।

कि वाद के पद सं. 01 में वर्णित खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर की प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी में अकित 34 बीघा का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 के बीच विधिवत बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस के करवाया जाकर वादी को 1/2 भाग की 17 बीघा भूमि बन्ट में दिलाई जाकर स्वतन्त्र खातेदारी अमल दरामद करवाई जावे।

वादी के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषैधज्ञा जारी की जावे की जावे कि वाद के पद सं. 01 में वर्णित खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, वाकै शरहद बेगसर की प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 व वादी के नाम से संयुक्त खातेदारी में अकित 34 बीघा भूमि के 1/2 भाग की 17 बीघा भूमि में भविष्य में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी या हस्तक्षेप या हस्तांतरण न तो वे स्वयं करे न किसी अन्य से करवाये।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 19.06.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की और से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार भाकर ने वकालतनामा पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

दिनाकं 03.10.2013 को प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी के वारिसान तथा प्रतिवादीगण संख्या 01,ता 03 ने दिनाकं 07.08.2014 को न्यायालय में राजीनामा पेश किया। पक्षकारान् जरिये राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादी के वारिसान तथा प्रतिवादीगण संख्या 01,ता 03, द्वारा पेश किये गये राजीनामा की इबारत पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गई जिसे पक्षकरान् द्वारा बिना किसी लालच या दबाव के सही होना स्वीकार किया गया। वादी के वारिसान की पहचान अधिवक्ता श्री हाकम अली खान ने की व प्रतिवादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार भाकर ने की। अतः बख्वाहिश राजीनामा पक्षकारान् तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् ने राजीनामा पेश कर इस्तदुआ की कि राजीनामा व बन्टवारा व मौके पर कब्जा काश्त व वादी व प्रतिवादीगण के राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार जमीन घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड मे अलग से खातेदारी में दिलाने का आदेश फरमाया जावें ।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2012/225
दायर दिनांक 29.11.2012, निर्णय दिनांक 06.06.2017
चुन्नीलाल बनाम छोटूराम वगैराह।

बहस वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।
अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

:–आदेश–:

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, कि वाकै शरहद बेगसर खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, में से पश्चिम दिशा की और 34 बीघा में से वादी व उसके विधिक वारिसान के 15 बीघा 15 बिस्वा पश्चिम में व प्रतिवादीगण 01 ता 03 के 18 बीघा 05 बिस्वा पुर्वी दिशा घोषित की जाकर, वाकै शरहद बेगसर खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा,,में से पश्चिम दिशा की 34 बीघा भूमि का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **06.06.2017** को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत बेगसर में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवान

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2012/225** दायर दिनांक **29.11.2012**

वादी		प्रतिवादीगण
1 चुन्नीलाल पुत्र जंवाराराम फौत 1/1 कमल पत्नि स्व. चुन्नीलाल 1/2गलकूदेवी पुत्री स्व.चुन्नीलाल 1/3मोहनलाल पुत्र स्व.चुन्नीलाल 1/4सुखमादेवी पुत्री स्व.चुन्नीलाल 1/5धन्नाराम पुत्र स्व.चुन्नीलाल समस्त जाति खाती निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	बनाम्	1. छोटूराम पुत्र जंवाराराम 2. भागीरथ पुत्र जंवाराराम 3. सुन्दरदेवी पत्नि रामदयाल समस्त जाति खाती निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 4. बालूराम पुत्र हुक्माराम 5. मांगीलाल पुत्र हुक्माराम 6. गणपत पुत्र हुक्माराम समस्त जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 7. पीरूसिंह पुत्र तगतसिंह जाति राजपूत निवासी बेगसर तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 8. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, व बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53 188 R.T.Act.

दिनांक 06.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै शरहद बेगसर खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा, में से पश्चिम दिशा की और 34 बीघा में से वादी व उसके विधिक वारिसान के 15 बीघा 15 बिस्वा पश्चिम में व प्रतिवादीगण 01 ता 03 के 18 बीघा 05 बिस्वा पुर्वी दिशा घोषित की जाकर, वाकै शरहद बेगसर खेत ख.न. 187 रकबा 85 बीघा 15 बिस्वा,,में से पश्चिम दिशा की 34 बीघा भूमि का बन्टवारा राजीनामा व नजरी नक्शा के अनुसार वाद डिक्री किया जाता है। राजीनामा, व नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–............... बाबत....................–...... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.06. 2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुददई	्पया	से	मुदायलह	्पया	पैसे
ाम्प अर्जीदावा ाम्प वकालतनामा ाम्प वजह सबूत नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर ात इजराय मनामा फर्रिक			ाम्प वकालतनामा ाम्प अर्जी नताना वकील र्चा गवाहान स कमिश्नर ात इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
ज़ान			ज़ान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर

(सहायक कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner